

उत्तरांचल शासन  
वित्त विभाग

एस (20)

सं ४१५/ XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006  
दिनांक: देहरादून: नवम्बर १२-१० २००६

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची-I की क्रम संख्या 64 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी—

65. मेडिकल ऑक्सीजन।

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पांडे)  
प्रमुख सचिव वित्त

सं ४१५/ XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006 दिनांक  
प्रतिलिपि प्रेषित—

- 1—कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250—250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

प्रमुख सचिव वित्त

अनुसूची  
आवश्यक कार्यवाही के

अपर उत्तरांचल  
देहरादून

५१६४

१६-१०-०६

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2006 dated September ,2006 for general information.

## UTTARANCHAL SHASAN

### VITTA VIBHAG

NO. 814 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006  
DATED: DEHRADUN : : September 8<sup>th</sup> 2006

### NOTIFICATION


Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal) the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule-I of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 –

After the existing entry at serial no 64 of Schedule - I the following entry shall be added-

65. Medical Oxygen.

By Order,

  
(INDU KUMAR PANDE)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE